प्राचार्य का कार्यालय, नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना ।

अल्पकालीन निविदा सूचना

नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना के लिये वित्तीय वर्ष 2016 - 17 में केन्द्रीय / विभागीय पुस्तकालय में पढ़ने वाले विभिन्न श्रेणी के पाठकों यथा यू0जी0 / पी0जी0 / सुपर स्पेशलिटि सहित विषयों के लिये पुस्तकों एवम् जर्नलों के कय के लिये G.O.C अहर्ता रखने वाले प्रकाशकों, प्रकाशक द्वारा प्राधिकृत Distributors, Subscritption agent से इस विज्ञापन के समाचार-पत्र में प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर विभागावार पुस्तकों एवम् जर्नलों की अलग - अलग सूची दर रहित शील्ड लिफाफे में निबंधित स्पीडपोस्ट के माध्यम से कार्यावधि में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। विलम्ब से प्राप्त निविदा अमान्य होगा । प्राप्त निविदा, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि की अगली तिथि को कय समिति के समझ खोली जायेगी। उक्त तिथि को अवकाश की स्थिति में अगले कार्यदिवस को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष में कय समिति के समझ निविदा खोली जायेगी, जिसमें निविदादात या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

निविदा की शर्ते

1. पुस्तक विकेताओं / Subscritption agent के द्वारा पुस्तक सूची में लेखक, शीर्षक, प्रकाशक, अद्यतन् संस्करण के साथ - साथ जर्नल के टाईटल का विस्तृत उल्लेख करना होगा ।
2. बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 के नियम - 25 एवम् G.O.C मानक तथा एम0सी0आई मानकों के अनुसार पुस्तकों एवम् जर्नलों का कय किया जायेगा ।
3. पुस्तकों एवम् जर्नलों को प्रकाशक कैटलग संलग्न करना होगा, जिसमें पुस्तकों एवम् जर्नलो की अनुशंसा विभागाध्यक्षों, विभागीय चिकित्सकों, पी0 जी0 छात्रों एवम् सुपर स्पेशलिटि विषयों के विभागाध्यक्षों एवम् स्नातक छात्रों द्वारा किया जायेगा ।
4. आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा प्रकाशक कैटलग संलग्न करने पर कमांक 03 में अंकित विभिन्न श्रेणी के चिकित्सकों, शिक्षकों एवम् छात्रों के द्वारा अनुशंसित पुस्तकों एवम् जर्नलों का कय हेतु कय समिति के द्वारा आपूर्तिकर्ता का चयन किया जायेगा ।
5. G.O.C सदस्यता प्रमाण पत्र एवम् प्रकाशक द्वारा अधिकृत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।
6. आपूर्तिकर्ता को अपना पैन नम्बर , अद्यतन् आयकर रिर्टन एवम् सेल्स टैक्स निंबधन की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा ।
7. मेडिकल पुस्तक एवम् जर्नल का मूल्य सब्सकिपिसन के दर से अधिक नही होना चाहिए । विपत्र के साथ आपूतिकर्ता को प्रकाशक का दर, मूल्य सूची / कैटलग संलग्न करना होगा ।
8. FOR केन्द्रीय पुस्तकालय, नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना होगा । इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी ।
9. चयनित आपूर्तिकर्ताओं को कय्र आदेश के बाद केन्द्रीय पुस्तकालय में पुस्तकों की आपूति तथा पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर Orginality प्रमाण पत्र अंकित करना होगा, जिसमें उनके प्रोपराट्र / डायरेक्टर के द्वारा स्वयं या प्राधिकृत के उपरांत ही पुस्तक एवम् जर्नल स्वीकार किये जायेगें ।
10. विदेशी प्रकाशन में पुस्तक एवम् जर्नल का भारतीय मुद्रा में परिवर्तित दर / प्रकाशक दर में देना होगा ।
11. भारतीय प्रकाशन में पुस्तक एवम् जर्नल का मूल्य / प्रकाशक दर देना होगा ।
12. एशिय चिकित्सा पुस्तक एवम् जर्नल का भारतीय मुद्रा में परिवर्तित दर / प्रकाशक दर में देना होगा ।
13. पुस्तक एवम् जर्नल के लिये कोई अग्रिम राशि देय नही होगा ।
14. पुस्तकालय छूट देय होगा ।

15. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताएँ किसी भी निविदा को रद्द करने या सामान शर्तो वालों के बीच वितरीत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

16. किसी भी विवाद का न्यायाकि क्षेत्र पटना न्यायालय, पटना होगा ।

17. सभी अनुलग्नक हस्ताक्षरित एवम् पृष्ठांकित होना चाहिए । मुख्य पृष्ठ पर कुल अनुलग्नक पृष्ठों की संख्या अंकित होना अनिवार्य है।

18. देशी विदेशी जर्नलों की आपूर्ति करने वाले को ही पुस्तकों के आपूर्ति का आदेश निर्गत किया जायेगा। इस संबंध में फर्म द्वारा शपथ पत्र संलग्न करना है।

19. प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा फर्म / आपूर्तिकर्ता को काली सूची में नही होने एवम् पुस्तकों, जर्नलों का दर प्रकाशीय दर से अधिक नही होने का मूल शपथ पत्र संलग्न करना है।

20. जो आपूर्तिकर्ता देशी एवम् विदेशी जर्नल की आपूर्ति करेगें उन्हें ही पुस्तक आपूर्ति में प्राथमिकता दी जायेगी। इस संबंध में स्वयं उन्हें एक शपथ पत्र समर्पित करना होगा ।

21. मेडिकल पुस्तकों एवम् जर्नलों की सूची प्राचार्य कार्यालय में कार्य दिवस में 01:00 से 04:00 बजे अपराह्न तक निःशुल्क देखा जा सकता है।

प्राचार्य
नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना।
05/10/16